

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)**प्रथम सूचना रिपोर्ट**
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District (जिला):** State Vigilance & Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Ambala **Year (वर्ष):** 2026

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0019 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):**
30/09/2026 19:59 hrs

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	THE PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	7
2	THE BHARATIYA NYAYA SANHITA (BNS), 2023	308(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**
Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 30/09/2026 **Time (समय):** 19:26 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 014 **Date and Time (दिनांक और समय):**
30/09/2026 19:26 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** SOUTH, 85 Km **Beat No. (बीट सं.):** (s)

(b) **Address (पता):** रा स एव भ्र नि ब्यूरो, उप केंद्र कैथल

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then **Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):**

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** साहिल

(b) **Father's Name (पिताका नाम):** नरेश

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 2006

(d) **Nationality (राष्ट्रियता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

- (g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड, मतदाता कार्ड, पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)
------------------	--------------------------------	--------------------------

- (h) Occupation (व्यवसाय):

- (i) Address
(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	सुभाष नगर, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	सुभाष नगर, कैथलKAITHAL, HARYANA, INDIA

- (j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8059229055

7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	IO राजेश			1. सिविल लाईन कैथल, KAITHAL, HARYANA, INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S. No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)
------------------	---------------------------------

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

श्रीमान जी, नकल तहरीर जेल है :-

सेवा मे,

श्रीमान विजीलेंस इन्स्पेक्टर

कैथल

श्रीमान जी

निवेदन है की मैं साहिल S/O नरेश वासी सुभाष नगर कैथल का रहने वाला हूँ। मैं मेहनत मजदूरी का काम

करता हूँ। दिनांक 24-09-2026 को शिवनरायण व संजय ने मेरे साथ मार पीटाई की थी और थाना सीवील लाईन कैथल मे मेरी ही दरखास दे दी और साथ मे जगमोहन S/O रामकुमार व अरुण S/O संजु की नाम भी था। दिनांक 25-09-2026 को मेरे को थाना सिवील लाईन कैथल से IO राजेश का फोन आया मुझे थाने मे बुलाया। और राजेश ने मुझे कहा तेरे खिलाफ मुकदमा करु गा अपना देख ले। मे 30-09-2026 को थाना सीवील लाईन मे ताऊ के लडके कृष्ण के साथ गया। राजेश ने कहा की 40,000 की माग करी तो मेरे ताऊ के लडके कृष्ण ने कहा 40,000 जादा है 20,000 ले लो उस ने कहा 25,000 दे दो। मेने यहा बात अपने रिकोडिंग डिवाइस मे कर ली। मे राजेश को 25,000 नही देना चाहता उसे यदी मे 25,000 नही दुगा तो वह मेरे नाम झुठा मुकदमे मे कर दे गा। मे उसे रगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। उसके खिलाफ कानुनी कारवाई की जाए जो मेने पैसे मागने की बातचीत डिवाइस मे रिकार्ड की है मे उसे आप को बाद मे दे दुगा मेने आज आप को 500-500 के 50 नोट आप को दे दिये है

-sd-अग्रेजी Sahil

साहिल S/O नरेश

देवीगड रोड सुषास नगर

कैथल NO 8059229055

कार्यवाही पुलिस-आज दिनांक 30.09.2026 को मन निरीक्षक मय स्टाफ के कार्यालय राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल पर हाजिर था, कि शिकायतकर्ता साहिल पुत्र नरेश कुमार वासी सुभाष नगर देवीगड रोड कैथल ने हाजिर कार्यालय आकर एक हस्त लिखित दरखास्त मन निरीक्षक को पेश की, जिस पर मन निरीक्षक ने शिकायतकर्ता से रेड करवाने बारे पूछताछ की और आपसी लेन-देन सम्बन्धित रिकार्ड बातचीत सुनने उपरान्त सन्तुष्टि होने पर मन निरीक्षक की हिदायत अनुसार शिकायतकर्ता ने 500-500/- रुपये के 50 अदद करेन्सी नोट मुबलिक 25,000/- रुपये मन निरीक्षक को पेश किए। जिनको फर्द द्वारा कब्जा पुलिस में लेकर अलग से फर्द सूचि करेन्सी नोट व फर्द इन्वेंटरी तैयार की गई। फर्द सूचि करेन्सी नोट पर मन निरीक्षक व शिकायतकर्ता साहिल उपरोक्त ने अपने-अपने हस्ताक्षर किए। दरखास्त के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला के संज्ञान में लाकर राजपत्रित अधिकारी नियुक्त करने बारे आग्रह किया गया, जिस पर पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला द्वारा नियुक्त राजपत्रित अधिकारी के उचित आदेश व्हाट्सअप के माध्यम से प्राप्त होने उपरांत मन निरीक्षक द्वारा श्री कृष्ण कुमार, HCS MD शुगर मिल कैथल से सम्पर्क किया गया और हालात बारे अवगत करवाकर पुलिस अधीक्षक राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अम्बाला के आदेश बारे बतलाया और एक छाया गवाह अपने साथ लेकर कार्यालय रा.स. एवं भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल पर आने बारे सूचित किया गया। दरखास्त के मजबूत से IO राजेश कुमार सिविल लाईन थाना कैथल के खिलाफ सूरत जुर्म जेर धारा 7 PC ACT 1988 व 308 (2) BNS 2023 का सरजद होना पाया गया। मन निरीक्षक मय उप निरीक्षक बलजीत सिंह न.69 कैथल स.उ.नि. उषा रानी न. 353/कैथल, स.उ.नि. विशाल न. 366/गुरुग्राम, मु.सि. धर्मयुद्धिष्ठर न. 1348/अम्बाला, स.उ.नि. धर्मबीर सिंह न. 1561/अम्बाला, मु.सि. अजय कुमार न. 03/30, बा सवारी गाडी सरकारी न. HR03 GV 1432 जिसका चालक ई.मु.सि. रोहित नरवाल न. 107/KKR व प्राईवेट गाडी तथा तफतीशी बैग, लैपटॉप व प्रिन्टर सहित रेडिंग पार्टी तैयार की गई। तहरीर बराये कायमी अभियोग बदस्त मु.सि. धर्मयुद्धिष्ठर न. 1348/अम्बाला के थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला मण्डल अम्बाला भेजी जा रही है। बाद कायमी अभियोग सख्या अभियोग से सूचित किया जावे व अभियोग की स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट कैथल व अफसरान बाला की सेवा में भिजवाई जाए व असल लेख मय पुलिस फाईल मौका पर भिजवाई जाए। अज- राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल।

-sd- अग्रेजी sube

निरीक्षक,

रा.स. एवं भ्र.नि. ब्यूरो,

उपकेन्द्र कैथल।

दिनांक 30.09.2026

समय: 4.30 PM

अज थाना :- इस समय एक लेख निरीक्षक सुबे सिंह रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो उपकेन्द्र कैथल बर दरखास्त साहिल S/O

नरेश वासी सुभाष नगर कैथल बर खिलाफ IO राजेश थाना सिविल लाईन कैथल बाबत मुकदमा से नाम निकालने की एवज में 25000 रुपये रिश्तित राशी मागने बारे बाजूम 7 PC ACT 1988 व 308 (2) BNS 2023 का होना पाया जाने पर तहरीर बादस्त मु.सि धर्मयुधिष्ठिर न. 1348/अम्बाला के थाना में प्राप्त होने पर मुकदमा न. 19 दिनांक 30.09.2026 धाराधीन 7 PC ACT 1988 व 308 (2) BNS 2023 थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अम्बाला दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रथम सूचना रिपोर्ट की स्पेशल रिपोर्ट बजरिया ई.मेल सेवा में ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब कैथल भेजी जा रही है व नकल मिसल पुलिस मय असल तहरीर आगामी अनुसंधान हेतु आने वाले मु.सि धर्मयुधिष्ठिर न.1348/अम्बाला के द्वारा अनुसंधानकर्ता के पास मौका पर भेजा जा रहा है। प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां सम्बन्धित की सेवा में बजरिया डाक भिजवाई जाएंगी। यह अभियोग निरीक्षक दलबीर थाना रा0चौ0 एवं भ0नि0ब्यूरो अम्बाला की हाजिरी में दर्ज किया जा रहा है। ईन्द्राज रिकार्ड थाना विधिनुसार किया गया। ले.

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

- (1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)
- (2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): SUBE Rank (पद): I (Inspector) SINGH
No. (सं.): 517KTL to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)
- (3) Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)
- (4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

14. Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान)

Name (नाम): Pardeep Yadav

Rank (पद): Dy. SP (Deputy Superintendent of Police)

No. (सं.): HPS

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7

संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male					
						Is pox pitted: Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)